न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद
(डॉ.भंवर लाल,आई0ए0एस0,जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)
राजस्व अपील संख्या: 05/2022
दायर दिनांक: 16.03.2022
निर्णय दिनांक 02.02.2024

—:अनवान:—

श्री सत्यनारायण पिता प्रभूलाल जी सोनी निवासी खमनोर तहसील खमनोर जिला राजसमंद
— अपीलांट

बनाम

1. श्री राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार खमनोर
2. पटवारी पटवार मंडल खमनोर तहसील खमनोर जिला राजसमंद

— रेस्पोडेंट्स

अपील विरूद्ध आदेश न्यायालय तहसीलदार, खमनोर, प्रकरण संख्या 01/2021 में पारित आदेश दिनांक 10.03.2022 से अप्रसन्न एवं दुखी होकर

अधिवक्तागण :—

1— श्री धनेन्द्र मेहता, अधिवक्ता अपीलांट, उपस्थित
2— श्री अनिल बागोरा, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 उपस्थित

प्रस्तुत अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ तहसीलदार खमनोर ने आदेश पारित करने में तथ्यों एवं विधि सम्बन्धी भारी भूल की है। अपीलांट को तहसीलदार खमनोर द्वारा बिना सूचना दिये और सुनवाई का अवसर दिये बेदखली का आदेश पारित कर दिया। अपीलांट को तहसीलदार खमनोर द्वारा न्यायालय सहायक कलेक्टर नाथद्वारा में इसी आराजी के संबंध में मामला विचाराधीन होते हुए और उसकी सूचना देने पर इस तथ्य के संज्ञान में आ जाने पर भी बेदखली का आदेश पारित कर दिया। अपीलांट को तहसीलदार खमनोर द्वारा न्यायालय सहायक कलेक्टर नाथद्वारा में इसी आराजी के संबंध में मामला विचाराधीन होने की जानकारी होते हुए कोई स्थगन आदेश पेश नहीं करने के आधार पर प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों से विपरीत जाकर बेदखली का आदेश पारित कर दिया। अपीलांट का कब्जा ग्राम गुर्जरगढ़ की आराजी संख्या 3016 रकबा 0.16 हैक्टेयर किस्म बंझड भू भाग पर लगभग 30 वर्षों से है तथा जिसे लाखों रूपया खर्च कर अपीलांट ने आबाद किया। भूमि को बेहतर बनाया भूमि का उपजाऊपन बढ़ाने के लिये और भूमि विकास के लिये इस भू भाग पर मेहनत कर ढेरों रूपया खर्च किया और तब से लगातार निर्विघ्न अपीलांट का ही कब्जा

चला आ रहा है। इस भूखण्ड पर संवत् 2048 से अपीलांट का कब्जा निरन्तर निर्विघ्न चला आ रहा है। अपीलांट्स को कभी भी आज दिन तक भौतिक रूप से बेदखल नहीं किया गया है। अपीलांट ने इस भूमि पर लाखों रूपया खर्च कर कच्चे पत्थरों की बाउण्ड्रीवाल एवं कमरा भी उक्त भू भाग पर बना रखा है और एक पानी का होज भी निर्मित कर रखा है। इन सब तथ्यों की जानकारी तहसीलदार खमनोर को प्रारंभ से है परन्तु किन्ही स्वार्थी तत्वों को लाभ पहुँचाने की गरज से तहसीलदार ने नियमों को ताक पर रख बिना विधिक प्रकिया अपनाए आनन–फानन में येन केन अपीलांट को बेदखल करने का मन बनाकर उक्त आलौच्य निर्णय पारित किया है। अधिनस्थ तहसीलदार खमनोर ने ऐसा आदेश पारित करने में तथ्यों एवं विधि सम्बन्धी भारी भूल की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर बेदखली के आदेश दिनांक 10.03.2022 को निरस्त फरमाया जावे और अपीलांट का कब्जा आराजी संख्या 3016 पर संवत् 2048 के पूर्व से निरन्तर चले आने से उसके नाम नियमन की कार्यवाही के आदेश फरमाये जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोण्डेंटगण को जरिये सम्मन सूचना दी गई एवं अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया।

अधिवक्ता अपीलांट के द्वारा बहस में यह बताया गया कि अपीलांट को तहसीलदार खमनोर द्वारा बिना सूचना दिये और सुनवाई का अवसर दिये बेदखली का आदेश पारित कर दिया। अपीलांट को तहसीलदार खमनोर द्वारा न्यायालय सहायक कलेक्टर नाथद्वारा में इसी आराजी के संबंध में मामला विचाराधीन होते हुए और उसकी सूचना देने पर इस तथ्य के संज्ञान में आ जाने पर भी बेदखली का आदेश पारित कर दिया। अपीलांट को तहसीलदार खमनोर द्वारा न्यायालय सहायक कलेक्टर नाथद्वारा में इसी आराजी के संबंध में मामला विचाराधीन होने की जानकारी होते हुए कोई स्थगन आदेश पेश नहीं करने के आधार पर प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों से विपरीत जाकर बेदखली का आदेश पारित कर दिया। अपीलांट का कब्जा ग्राम गुर्जरगढ़ की आराजी संख्या 3016 रकबा 0.16 हैक्टेयर किस्म बंझड भू भाग पर लगभग 30 वर्षों से है तथा जिसे लाखों रूपया खर्च कर अपीलांट ने आबाद किया। भूमि को बेहतर बनाया भूमि का उपजाऊपन बढ़ाने के लिये और भूमि विकास के लिये इस भू भाग पर मेहनत कर ढेरों रूपया खर्च किया और तब से लगातार निर्विघ्न अपीलांट का ही कब्जा चला आ रहा है। इस भूखण्ड पर संवत् 2048 से अपीलांट का कब्जा निरन्तर निर्विघ्न चला आ रहा है। अपीलांट्स को कभी भी आज दिन तक भौतिक रूप से बेदखल नहीं किया गया है। अपीलांट ने इस भूमि पर लाखों रूपया खर्च कर कच्चे पत्थरों की बाउण्ड्रीवाल एवं कमरा भी उक्त भू भाग पर बना रखा है और एक पानी का होज भी निर्मित कर रखा है। इन सब तथ्यों की जानकारी तहसीलदार खमनोर को प्रारंभ से है परन्तु किन्ही स्वार्थी तत्वों को लाभ पहुँचाने की गरज से तहसीलदार ने नियमों को ताक पर रख बिना विधिक प्रकिया अपनाए आनन–फानन में येन केन अपीलांट को बेदखल करने का मन बनाकर उक्त आलौच्य निर्णय पारित किया है। अधिनस्थ तहसीलदार खमनोर ने ऐसा आदेश पारित करने में तथ्यों एवं विधि सम्बन्धी भारी भूल की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाना फरमावें।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस मे निवेदन किया है कि प्रश्नगत भूमि के संबंध में इस न्यायालय द्वारा राजस्व अपील संख्या 01/2021 में पारित आदेश दिनांक 01.04.2021 से

तहसीलदार खमनोर को प्रकरण प्रतिप्रेषित कर यह निर्देश दिये गये थे कि भूमि के संबंध में सहायक कलक्टर महोदय, नाथद्वारा के प्रकरण संख्या 156/2020 में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही है तो उक्त प्रकरण में वादग्रस्त भूमि के संबंध में प्रतिपक्ष को सुनवाई का अवसर देकर 01 माह में आदेश पारित करे। उक्त आदेश के क्रम में तहसीलदार खमनोर द्वारा प्रकरण में अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया जिसमें अपीलांट की ओर से काई स्थगन या जवाब प्रस्तुत नही किया गया। जिससे सिद्ध होता है कि अपीलांट द्वारा जानबुझकर सार्वजनिक उपयोग की राजकीय भूमि पर बिना विधि संगत प्राधिकार के अतिक्रमण कर रखा हैं। अतः अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार खमनोर द्वारा पारित किया गया आदेश विधिसम्मत है। अपील आधारहीन होने से खारिज फरमायी जावें।

अधिवक्ता अपीलांट एवं राजकीय अधिवक्ता की बहस पर गहन मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में वादग्रस्त भूमि के संबंध मे किसी भी न्यायालय द्वारा निषेद्याज्ञा जारी नही की है। अतः अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार खमनोर द्वारा अपीलांट को अतिक्रमी मानकर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91(क) के तहत पारित किया गया आदेश विधिसम्मत है।

::आदेश::

उपरोक्त विवेचनान्तर्गत अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता हैं। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार खमनोर द्वारा पारित किया गया आदेश यथावत रखा जाता हैं।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मय निर्णय की प्रति तहसीलदार, खमनोर को लौटायी जावे।

Bellw

(डॉ. भंवर लाल)
ज़िला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांकः 02.02.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Bellw

(डॉ. भंवर लाल)
जिला कलक्टर
राजसमंद